



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार में 15 लाख तक के भौतिक निर्माण कार्यों के लिए
संवेदकों/फर्मों को सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन—पत्र (08/Notice/IDA/20)

आवेदक का नाम :—

Photo

पिता/पति का नाम :—

माता का नाम :—

जन्म तिथि :—

व्यवासाय :—

स्थायी पता :—

वर्तमान पता :—

मोबाईल नं० :—

ई—मेल आईडी० :—

पैन नं० :—

जी०एस०टी० नं० :—

अग्रधन की राशि :— ₹० 5,000 /— (पाँच हजार रुपये) मात्र

बैंक शाखा एवं ड्राफ्ट नं० :—

राज्य सरकार के विभाग में चतुर्थ श्रेणी में निबंधन संख्या एवं वर्ष:—

विभाग :—

जिला :—

स्थान:—

दिनांक:—

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र— 'ख'

आवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों में अनुरक्षण/मरम्मति अंतर्गत किये गये कार्य एवं वित्तीय औसत वार्षिक टर्न ओवर की विवरणी:-

क) कार्य अनुभव की विवरणी:-

i) वित्तीय वर्ष :— 2018—19

परियोजना का नाम एवं विवरणः—

प्राककलित राशि:—

भुगतान की राशि एवं तिथि:—

ii) वित्तीय वर्ष :— 2019—20

परियोजना का नाम एवं विवरणः—

प्राककलित राशि:—

भुगतान की राशि एवं तिथि:—

iii) वित्तीय वर्ष :— 2020—21

परियोजना का नाम एवं विवरणः—

प्राककलित राशि:—

भुगतान की राशि एवं तिथि:—

ख) वित्तीय औसत वार्षिक टर्न ओवर की विवरणी:-

i) वित्तीय वर्ष :— 2018—19

टर्न ओवर (रु०):—

ii) वित्तीय वर्ष :— 2019—20

टर्न ओवर (रु०):—

iii) वित्तीय वर्ष :— 2020—21

टर्न ओवर (रु०):—

नोट:— प्रपत्र 'क' एवं प्रपत्र 'ख' के कागजात को Computerized From में भरकर उससे संबंधित कागजात संलग्न करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपकी सूचीबद्धता को रद्द की जा सकती है।

शपथ—पत्र

मैं पिता/पति का नाम
मोहल्ला का निवासी हूँ।

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:-

क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची (Black Listed) में दर्ज विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।

ग) मेरा/हमारा निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के सम्बंधी) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/लेखा पदाधिकारी/लेखापाल इत्यादि के रूप में कार्यरत् नहीं है।

घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण—पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।

ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधिसम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके ऊपर विधिसम्मत दण्ड, संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।